

प्रेषक,

दीप कान्त मणि,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषय:-

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा मेरे वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2023-24 में की गयी प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2023-2024 के कॉलम 2(overall Assessment) अन्तर्गत की गयी प्रविष्टि मेरे द्वारा किये गये कार्य के उचित मूल्यांकन द्वारा नहीं किया गया है अपितु हतोत्साहित करने के उद्देश्य से की गयी उक्त प्रविष्टि के सम्बन्ध में मेरा प्रत्यावेदन निम्नवत है-

- 1- यह कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में निर्धारित 1200 यूनिट के सापेक्ष 2480.32 यूनिट (206%) कार्य किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में एक्शन प्लान के तहत प्राचीन वादों की निर्धारित 75 दाण्डिक व 25 सिविल वाद की निस्तारित की गयीं पत्रावलियां भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा इजराय वाद अन्तर्गत 135 दाण्डिक इजराय व 15 सिविल इजराय का भी निस्तारण किया गया है।
- 2- यह कि मेरे द्वारा पूरी निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है, जिससे श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर भली-भाँति अवगत हैं एवं इस तथ्य से उनके द्वारा इंकार भी नहीं किया गया है।
- 3- यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कॉलम-2 में की गयी प्रविष्टि का वास्तविक उद्देश्य किसी द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित हो निष्ठावान व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को हतोत्साहित करना मात्र है, इसके अतिरिक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में किसी अन्य तथ्य को दर्शित नहीं किया गया है।
- 4- यह कि मेरे माह मई 2021 के विधि विरुद्ध तरीके से रोके गये वेतन के एरियर के भुगतान हेतु श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं उक्त एरियर वेतन का उनके द्वारा भुगतान नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित प्रत्यावेदन को उनके समक्ष अग्रसारित करने के लिये प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अकारण नाराज होकर उक्त प्रत्यावेदन को न तो माननीय उच्च न्यायालय को अग्रसारित किया गया और न ही मेरे माह मई 2021 के एरियर वेतन का भुगतान किया गया। मैं अपने वेतन का स्वयं आहरण अधिकारी होने के बावजूद अनुचित अवरोध उत्पन्न करने के कारण आज तक माह मई 2021 के वेतन का भुगतान प्राप्त नहीं कर सका हूँ।

इसी प्रकार मेरे द्वारा अवकाश नकदीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के ई-पोर्टल पर किये गये आवेदन सं० L00068572024 व L02379802023 को भी आज तक अग्रसारित नहीं किया गया है, जिस कारण मैं उक्त भुगतान से भी वंचित हूँ।

24/06/24

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति हेतु मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के ई-पोर्टल पर किये गये आवेदन सं० D00000432024 को भी अग्रसारित नहीं करने एवं आवेदन प्रेषित करने की अवधि के समाप्त हो जाने के कारण उक्त आवेदन विचार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका और मैं अकारण उक्त अवसर से वंचित रह गया हूँ।

5- यह कि श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर प्रतिदिन मेरठ जनपद से लगभग 12:00 बजे न्यायालय आते थे और लगभग 03:00 बजे वापस चले जाते थे तथा अपने न्यायालय का आवश्यक कार्य भी अतिरिक्त न्यायालय को स्थानान्तरित कर देते थे, जिसे न्यायालय परिसर में लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज व कार्य स्थानान्तरण आदेशों से पुष्ट किया जा सकता है, ऐसे में उनके द्वारा ईमानदारी व निष्ठापूर्वक किये गये श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाना भी एक सम्भावित कारण हो सकता है।

निष्पक्षता व सत्यता का अभाव, द्वेष व दुर्भावना के भाव को प्रकट करता है ऐसे में उपरोक्त तथ्यों को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है।


अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के कॉलम-2 की प्रविष्टि के सम्बन्ध में मेरा प्रत्यावेदन सम्यक एवं सदभावनापूर्वक विचार करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महति कृपा की जाय।

सादर।

दिनांक: 26.06.2024

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


26/06/24
(दीप कान्त मिश्रा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।